न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

1. पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–01/2009–10

श्री सतेन्द्र सिंह रावत आदि –बनाम– श्री महेन्द्र सिंह रावत आदि

2. पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–02/2009–10

श्री हुकम सिंह आदि –बनाम– श्री महेन्द्र सिंह रावत आदि

3. पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–03/2009–10

श्री हुकम सिंह आदि –बनाम– श्री महेन्द्र सिंह रावत आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।
एवं
श्री विजय कुमार ढौंडियाल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

श्री धीराज गर्ब्याल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री अरूण सक्सेना।

बावत

मौजा ग्राम पदमपुर, मोटाढ़ाक, परगना भाबर, तहसील कोटद्वार, जनपद पौडी गढ़वाल।

निर्णय

उपरोक्त तीनों पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून(राजस्व परिषद) द्वारा निगरानी संख्या–89/2008–09 हुकम सिंह आदि बनाम महेन्द्र सिंह रावत आदि, निगरानी संख्या–90/008–09 हुकम सिंह आदि बनाम महेन्द्र सिंह रावत आदि एवं निगरानी संख्या–91/2008–09 सतेन्द्र सिंह रावत आदि बनाम महेन्द्र सिंह रावत आदि में पारित संकलित निर्णयादेश दिनांक 14–07–2010 के पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री हुकम सिंह आदि की ओर से धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार के न्यायालय में वाद संख्या–12/2006–07 हुकम सिंह आदि बनाम रविदत्त आदि योजित किया गया। सहायक कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 09–03–2007 से वाद डिक्री किया गया। इस निर्णयादेश के विरूद्व श्री महेन्द्र सिंह रावत ने विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या–05/2007–08 महेन्द्र सिंह रावत बनाम हुकम सिंह आदि योजित की। इसी प्रकार श्रीमती हेमलता रावत की ओर सहायक कलेक्टर, कोटद्वार के न्यायालय में धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वाद संख्या–26/2006–07 श्रीमती हेमलता रावत बनाम रविदत्त आदि योजित किया गया। सहायक कलेक्टर, कोटद्वार ने निर्णयादेश दिनांक 12–05–2007 से वाद डिक्री किया गया। इस आदेश के विरूद्व श्री महेन्द्र

सिंह रावत की ओर से विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के न्यायालय में निगरानी संख्या–04/2007–08 महेन्द्र सिंह रावत बनाम श्रीमती हेमलता रावत आदि योजित की गई। एक अन्य जमींदारी विनाश अपील संख्या–28/2006–07 दिगम्बर प्रसाद बनाम हुकम सिंह में पारित आदेश दिनांक 17–12–2007 के विरूद्व आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष श्री महेन्द्र सिंह रावत ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र संख्या–06/2007–08 महेन्द्र सिंह रावत बनाम हुकम सिंह आदि प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विषयवस्तु समान होने के कारण एवं आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी संख्या–05 में उपस्थित अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया कि निगरानी संख्या–04 तथा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उन्हें प्रतिपक्ष की ओर से प्रतिवाद हेतु निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः वे केवल निगरानी संख्या–5 में ही अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा पक्षों की सुनवाई के उपरान्त तीनों वाद कमशः निगरानियों एवं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में अपने निर्णयादेश दिनांक 03–12–2008 से निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12–05–2007 तथा 09–03–2007 निरस्त कर प्रकरण अवर न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया गया कि निर्णयादेश में दी गई विवेचना के आलोक में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित घोषणात्मक वादों का विधिसम्मत निस्तारण किया जाय। विद्वान आयुक्त द्वारा तीनों वादों में पारित निर्णयादेश दिनांक 03–12–2008 के विरूद्व उपरोक्त तीन निगरानियाँ विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत हुई जो निर्णयादेश 14–07–2010 से निरस्त की गई और इस निर्णयादेश के पुनर्विलोकन हेतु उपरोक्त तीनों पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त एवं तत्पश्चात राजस्व परिषद की पीठ के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुए।

विद्वान अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि प्रतिउत्तरदाता मूल वाद में अधीनस्थ न्यायालय में पक्ष नहीं था और न उसके द्वारा मूल वाद में पक्ष बनने का कोई प्रार्थना पत्र अथवा पुनर्जीवित प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुत किया गया था। श्री महेन्द्र सिंह रावत को मूल वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत पारित अन्तिम आदेश दिनांक 12–05–2007 के विरूद्व या तो अधीनस्थ न्यायालय में पुनर्जीवित प्रार्थना पत्र अपने को पक्ष बनाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत करने का अधिकार था या उसे अपने को पक्ष बनाते हुए धारा–331 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत अनसूची–2 के तहत आयुक्त, गढ़वाल मण्ड़ल, पौडी के समक्ष अपील करने का ही वैधानिक अधिकार प्राप्त था। उसे निगरानी करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में उसके द्वारा पक्षकारों को कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई जबकि कोई भी इन्द्राज जो राजस्व दस्तावेजों में हो रखा है उसे निरस्त करने से पूर्व उस पक्षकार को नोटिस प्रेषित किया जाना अनिवार्य है जिसके पक्ष में राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी को कोई क्षेत्राधिकार ऐसा प्राप्त नहीं था कि वह बिना अधीनस्थ न्यायालय में अंकित पक्षकारों को विधिवत सम्मनों की तामील कराये निगरानी व पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सकते। जिस विवादित भूमि को प्रतिवादीगण मूल खातेदारों से अगर वादी कय कर लेता है तो वह वादी के विरूद्व विबद्व(स्टोपल) का सिद्वान्त रखती है कि उसने केतागण के स्वामित्व अधिपत्य को मान लिया है। ऐसी दशा में भी महेन्द्र सिंह रावत मूल खातेदारों के विरूद्व कोई वाद योजित करने का अधिकार नही रखता है। निगरानी न्यायालय अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा भी उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में बिना कोई विवेचना अथवा निर्णय किए ही तीनों निगरानियों को निरस्त किया गया। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य हैं तथा अधीनस्थ निगरानी न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 03–12–2008 निरस्त होने योग्य हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता ने विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानियों में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किये थे कि आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 03–12–2008 से प्रकरण को मात्र अवर न्यायालय में गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, कोई अन्तिम आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए निगरानी पोषणीय न होने के कारण निरस्त हुई थी।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों को सुना गया एवं अवर न्यायालयों के निर्णयादेशों तथा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्रों का सम्यक अध्ययन किया गया। पीठ द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों से प्रकरण को पुनः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं एवं वादग्रस्त स्थल की वास्तविक स्थिति के आधार पर निस्तारण हेतु प्रकरण विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को प्रतिप्रेषित किये जाने की पृच्छा की गई जिसपर पुनर्विलोकनकर्ता एवं प्रतिउत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा सहमति प्रकट की गई।

अतः विद्वान अधिवक्तागणों की सहमति एवं प्रकरण के अवलोकन से हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि तीनों पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण को आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी को इस आशय से प्रत्यावर्तित किया जाना उचित है कि वे वादग्रस्त स्थल की वास्तविक स्थिति ज्ञात करते हुए सभी हितबद्व पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निगरानियों का निस्तारण गुणदोष के आधार पर शीघ्रता से सुनिश्चित करें।

आदेश

प्रस्तुत तीनों पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं एवं विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–89/2008–09 हुकम सिंह आदि बनाम महेन्द्र सिंह रावत आदि, निगरानी संख्या–90/2008–09 हुकम सिंह आदि बनाम महेन्द्र सिंह रावत आदि, निगरानी संख्या–91/2008–09 सतेन्द्र सिंह रावत आदि बनाम महेन्द्र सिंह रावत आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 14–07–2010 तथा विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा निगरानी संख्या–04/2007–08 महेन्द्र सिंह रावत बनाम श्रीमती हेमलता रावत आदि, जेड0ए0 निगरानी संख्या–05/2007–08 महेन्द्र सिंह रावत बनाम हुकुम सिंह आदि एवं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र संख्या–06/2007–08 महेन्द्र सिंह रावत बनाम हुकुम सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 03–12–2008 निरस्त किए जाते हैं तथा प्रकरण आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी को उपरोक्त निर्णयादेश में दी गई विवेचना के आलोक में इस आशय से प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे निर्णयादेश में की गई विवेचना एवं वादग्रस्त स्थल की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर सभी हितबद्व पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणदोष के आधार पर शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित करें। अवर न्यायालयों की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(धीराज गर्ब्याल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

(सर्वेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 02.02.16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(धीराज गर्ब्याल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।